राजस्थान – सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या – 102/24 प्रा.पत्र

श्री चैनसुख S/o श्री नन्दलाल ब्राह्मण निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल [मेजा]

-प्रार्थी

बनाम

1. श्री आनन्दीलाल S/o श्री विष्णुदत्त तिवाड़ी ब्राह्मण निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल [मेजा]
(पृष्ठांकित प्रा.पत्र संलग्न)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:– 21.5.24

::आदेश::

[illegible] की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मेजा पटवार हल्का मेजा तहसील माण्डल मे उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 144,176,181,182,183, 184, 2645/181 कुल किता 07 रकबा 4.5906 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि [illegible] के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता [illegible] है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

[illegible] प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 02.05.24 को पजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को [illegible] अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए [illegible] की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

[illegible] का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 को स्वीकार किया जाकर ग्राम मेजा पटवार [illegible] मेजा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 144,176,181,182,183 184 2645/181 [illegible] किता 07 रकबा 4.5906 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये [illegible] हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक मेजा [illegible] 1800 रुपये /– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे [illegible] यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर [illegible] पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.13 10:45:06 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की

प्रतिलिपि– तहसीलदार माण्डल को भेजाकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा [illegible]
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस मे प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल